सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 757 राँची, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

23 सितम्बर, 2019

विषयः- बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क आवासीय परियोजना, राँची में 180 आवासों के निर्माण हेतु Rs. 17,37,01,700/- (सत्रह करोड़ सैंतीस लाख एक हजार सात सौ मात्र) पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

संख्या-03/न०प्र०नि०/PMAY/Birsa Munda Park/196/2017-3867-- उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवासविहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की संवैधानिक दायित्व नगर विकास एवं आवास विभाग की है। इस क्रम में बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क एवं करमटोली तालाब के आस-पास वासित लाभुकों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु बिरसा मुण्डा पार्क स्थित भूमि पर 175 आवास निर्माण की योजना के क्रियान्वयन हेतु सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराया गया है। तकनीकी अनुमोदन प्राप्त परियोजना के लिए कुल रु० 14,36,26,300/- (चौदह करोड़ छत्तीस लाख छब्बीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-204, दिनांकः 18.12.2017 द्वारा प्रदान की गई है।

2. योजना का क्रियान्वयन सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा किया जा रहा है। सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा का निस्तार करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
3. योजनान्तर्गत लाभुकों का पुनः सत्यापन नगर निगम, राँची के द्वारा कराते हुए कुल 182 सत्यापित लाभुक चिन्हित किए गए है।

4. पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत कुल 175 आवासों का निर्माण 7 Blocks में G+4 Model में किया जाना था, जबकि पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में योजना अंतर्गत 180 आवासों का निर्माण 9 Blocks में G+3 Model में किया जाएगा।
5. योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा पुनरीक्षित करते हुए मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग से कुल रु० 17,37,01,700/- (रूपया सत्रह करोड़ सैंतीस लाख एक हजार सात सौ) मात्र पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त की गयी है।
6. योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) एवं प्रस्तावित पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की तुलनात्मक विवरणी निम्नवत् हैः -

Comparetive Statement of Administrative Approved and Revised Technical Approved Cost of houses at Birsa Munda Smriti Park under PMAY (U)

Admistrative Approved Project Details		**Revised Technical Approved Project Details**	
Administrative Approval Cost	Rs 14,36,26,300	Revised Cost	Rs 17,37,01,700
Type of Building Structure	G+4 (without lift)	Type of Building Structure	G+3 (without lift)
No. of Blocks	7	No. of Blocks	9
No. of Dwelling units	175	No. of Dwelling units	180
No. of DU's per floor	5	No. of DU's per floor	5
Per DU Cost	Rs 8,20,721.71	**Per DU Cost	Rs 9,65,009.44
Cost per sqft	Rs 2,620.19	Cost per sqft	Rs 3,080.80
**Cost changed due to change in design of foundation, provision of RCC covered drain (average size 3m wide X 2.5m depth X 187m long) so as to cater whole catchment area, addition of 2 building blocks & provision of dewatering of the site.			

7. प्रस्तावित आवासीय परियोजना अठारह माह (18 माह) में पूरी की जायेगी।
8. पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन में निम्नांकित अवयव एवं लागत सम्मिलित हैः-

Abstract of Cost for Construction of Houses at Birsa Munda Smriti Park under PMAY (U) at Ranchi

Sl. No.	**Particulars**	**Amount in Rs.**
1	For 1 Block G+3 Building (5 units per floor)	
	i. Cost of Civil Work	1,46,54,984.00
	ii. Cost of Sanitary Work	9,13,734.00
	iii. Cost of Electrical Work	15,86,170.00
Total		1,71,54,888.00
For 9 Nos. of Blocks		15,43,93,992.00
2.	Cost of PCC Road	25,23,050.00
3.	Cost of Boundary Work	15,16,752.00
4.	Cost of Gate	44,247.00
5.	Cost of Drain	78,92,765.00
6.	Cost of Sump	2,96,018.00
7.	Cost of Boring	10,55,900.00
8.	Cost of Water Recharge Pit	11,98,393.00
9.	Cost of Septic Tank	30,60,760.00
Total (A)		17,19,81,876.62
10.	Add 1% Labour Cess (B)	17,19,818.77
Grand Total (A+B)		17,37,01,695.49
Say		**17,37,01,700.00**

9. उपरोक्त कंडिका में अंकित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि का आवंटन निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाएगा :-

केन्द्रांश	राज्यांश
मुख्यशीर्ष- 2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-89- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश)-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)-48C221780796890679.	मुख्यशीर्ष- 2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-89-प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (राज्यांश)-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)- 48S221780796890679.

10. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्याः-1482, दिनांकः-19.06.2019 के आलोक में सर्वश्री JUIDCO Ltd. को Centage Charge देय होगी। जुडको लि० को देय Centage Charge एवं योजना के DPRs एवं PMC हेतु परामर्शियों को भुगतेय परामर्शी शुल्क का भुगतान राज्य योजना मद के "शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान" मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

11. योजना का क्रियान्वयन जुडको लि० के द्वारा कराया जा रहा है। PMAY(U) अंतर्गत योजनाओं का कार्य राशि के अभाव में अवरूद्ध नहीं हो एवं राशि के प्रबंधन में सुगमता हो, इसलिए इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जुडको लि० द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग खाता संचालित किया जायेगा एवं उसका Integration PFMS (Public Finance Management System) से कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार जुडको लि० द्वारा राशि की मांग/परियोजना प्रगति प्रतिवदेन उपस्थापित करने पर विभागीय संकल्प संख्या-5382, दिनांकः-02.11.2018 की कंडिका-14 एवं 15 के आलोक में निदेशालय स्तर पर संधारित Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) के माध्यम से राशि जुडको लि० के संबंधित बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

12. योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश, प्रासंगिक विभागीय संकल्प, विभागीय अधिसूचना, मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा।

13. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301, दिनांकः-11.03.2015 की कंडिका 1.1 के आलोक में उपरोक्त पर दिनांकः-17.09.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

14. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा तथा इस संकल्प का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 757 -- 200